न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
उनवान मदनलाल बनाम नेमीचन्द
मुकदमा नं. 151 CPC 566/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक.................... को पेश हो।

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/5/24 को पेश है।

31/5/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/6/24 को पेश है।

10/6/24 पत्रा. पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधि. प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया है कि विवादित भूमि ख.नं. 649, 650 रकबा 1.35 हैक्टर वाके ग्राम सिहासन में अवस्थित है जिसका विभाजन बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन में विवादित भूमि पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत प्रतिबन्धित किया गया है बावजूद इसके अप्रार्थीगण पत्थगढ़ गाडकर तारबन्दी करने व पक्के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना दादिया में भी प्रकरण दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर किये गये निर्माण को हटवाया जाकर वाद प्रस्तुति की स्थिति कायम करवाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है।

प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार चाही गई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार ख.नं. 649 कीली के सहारे-सहारे पिलर गाडकर व धड़ी डाल रखी है व ख.नं. 650 में टीन शेड का पक्का मकान बनाया हुआ है। बहस अधि. उभयपक्ष सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस मुताबिक आवेदन व जवाब आवेदन के अनुसार रही। बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन करने के पश्चात प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को आंशिक

रूप से स्वीकार होना पाया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि ख.न. 649, ख.न. 650 रकबा 1.35 हैक्टर वाके ग्राम सिहासन पटवार हल्का सिहासन तहसील व जिला सीकर की भूमि पर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष बनाये रखें। विवादित भूमि पर निर्माण-तामिर आदि न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर